संख्या:64/2017/558/35-4-2017

प्रेषक,

पी.एन.त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इटावा।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 24 अगस्त,2017

विषय: वर्ष 2017-18 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इटावा में पेयजल पुनर्गठन योजना के (लाइन आर व लाइन पार) कार्यों की शासनादेश संख्या-555/35-4-2013 दिनांक 31 मार्च,2013 द्वारा रू. 12301.28 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू. 4000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या:602/35-4-2014 दिनांक 30 मार्च, 2014 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू. 4920.51 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या: 32/1533/35-4-2014 दिनॉक 22 दिसम्बर,2014 के द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू. 2765.71 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या: 427/2016/1636/35-4-2016 दिनॉक 20 दिसम्बर,2016 द्वारा कार्यों की रू. 13051.67 लाख की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात शासनादेश संख्या: 26/2017/71/35-4-2017 दिनॉक 30 जनवरी,2017 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू. 712.87 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई। जिलाधिकारी के पत्र संख्या: 715/डी.एस.टी.ओ./त्वरित 0आ0वि0यो0/2017-18 दिनांक 13 जुलाई,2017 द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा निम्नांकित विवरण के अनुसार पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय रू. 652.58 लाख (रूपये छः करोड़ बावन लाख अट्ठावन हजार मात्र) की धनराशि को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

	कार्य	अनुमोदित लागत	अनुमोदित पुनरीक्षित लागत	अवमुक्त धनराशि				अवमुक्त की जा रही धनराशि
				प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	तृतीय किश्त	चतुर्थ किश्त	
1	इटावा शहर(नगर पालिका परिषद) पेयजल पुनर्गठन योजन के (लाइन आर) से संबंधित प्रायोजना	8745.24	9127.43	2843.68	3498.10	1966.20	363.10	456.35
2	इटावा शहर(नगर पालिका परिषद) पेयजल पुनर्गठन योजन के (लाइन पार) से संबंधित प्रायोजना	3556.04	3924.24	1156.32	1422.41	799.51	349.77	196.23
	योग	**12301.28**	**13051.67**	**4000.00**	**4920.51**	**2765.71**	**712.87**	**652.58**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- सन्दर्भित शासनदेश दिनांक 31 मार्च,2013, 30 मार्च, 2014, दिनॉक 22 दिसम्बर,2014 व 20 दिसम्बर,2016 तथा 30 जनवरी,2017 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

4- इस शासनादेश से उक्त कार्यों के लिए अनुमोदित पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2018 तक पूर्णरूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2018 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2018 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2018 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

7- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-02-जलपूर्ति कार्यक्रमों के चालू कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त,2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी.एन.त्रिपाठी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:64/2017/558(1)/35-4-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव / सचिव, नगर विकास विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त ।
5- निजी सचिव, मा.मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, कानपुर।
7- मुख्य विकास अधिकारी, इटावा।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इटावा।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, इटावा।

आज्ञा से ,

(पी.एन.त्रिपाठी)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।